कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, बाराबंकी।

पत्रांकः–3476/मु0का0/2022–23 दिनांकः–03/3/2023

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत ठेकेदारों तथा शासनादेश सं0 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 20.09.2019 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया गया था कि **शासनादेश संख्या–158/2022/4349/002–E–1672197–84J–22 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2022 के द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद बाराबंकी हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत निम्न कार्यो** हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से दिनांक–06.03.2023 से दिनांक–27.03.2023 को अपरान्ह 01.00 बजे तक आनलाइन निविदा डाउनलोड/अपलोड की जायेंगी। उक्त निविदा दिनांक–27.03.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे से आनलाइन खोली जायेंगी। सम्बन्धित निविदा वेबसाइट **etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती हैं। **आनलाइन निविदा के साथ वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, स्वाघोषणा प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकृत प्रमाण–पत्र की प्रति के साथ–साथ प्रत्येक कार्य की निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि अलग–अलग कार्यवार आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बाराबंकी के IDBI BANK, BARABANKI के ई–टेण्डरिंग खाता सं0–0315104000102247 IFSC Code IBKL0000315 में जमा किया जायेगा।** निविदाओं में किसी प्रकार की त्रुटि एवं अपूर्ण पाये जाने पर तत्काल बिना कारण बताये निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। अन्य शर्तें/जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पालिका के अभियन्त्रण विभाग से की जा सकती है। शासनादेश के अनुरूप जी0एस0टी0 सहित समस्त कर अनुमन्य होंगे। शासनादेश सं0–79/78–2–2018–42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 के अनुरूप ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोले जाने के उपरान्त समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्ययानुमान	धरोहर धनराशि 2%	टेण्डर शुल्क+ 18% जी0एस0टी0 + शासनादेश के अनुपालन में टेण्डर मूल्य	कार्यावधि
1.	विस्तारित क्षेत्र के ग्राम जगनेहटा आबादी की मुख्य गली में नाली व इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य।	2524081.00	51000.00	2524+454 + 252+45 =3275	3 माह
2.	विस्तारित क्षेत्र के ग्राम मंझलेपुर में नाली व इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	1697585.00	34000.00	1697+305 + 250+45 =2297	2 माह
3.	विस्तारित क्षेत्र में स्थित अटल बिहारी बाजपेयी पार्क महर्षि नगर की बाउण्ड्रीवाल व पाथवे का निर्माण कार्य।	1075632.00	22000.00	1076+194 + 250+45 =1565	2 माह
4.	वार्ड आलापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीपुर के कायाकल्प का कार्य।	920910.00	18500.00	921+166 + 250+45 =1382	2 माह
5.	वार्ड आनन्द विहार में स्थित प्राथमिक विद्यालय रफीनगर के कायाकल्प का कार्य।	1355610.00	27500.00	1356+244 + 250+45 =1895	2 माह

–: शर्तें :–

1. किसी भी टेस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
2. निर्माण कार्यो हेतु निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल के बारे में भली–भांति परिचित हो लें।

Scanned with CamScanner

3. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कर शीघ्र–अतिशीघ्र अनुबन्ध करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
5. उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) नियमावली 2009 के अनुसार कार्य के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि सम्बन्धित बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसको समाविष्ट करते हुए निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
6. शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुरूप परफार्मेशन गारण्टी ली जायेगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
7. ठेकेदार के नाम निर्माण कार्य स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम–1996 एवं तत्सम्बन्धित प्रदेश नियमावली–2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमिक व निर्माण स्थल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. शासनादेश संख्या–158/2022/4349/002–E–1672197–84J–22 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
9. शासनादेश संख्या–1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद में निर्माण/विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,
बाराबंकी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासक
बाराबंकी।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि–

1. प्रतिलिपि संपादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/नवभारत टाईम्स को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में पठनीय शब्दों में कम से कम स्थान में एक बार न्यूनतम सरकारी दर पर कराने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
2. कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय अपर जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जिला ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।
7. कार्यालय जिला सूचनाधिकारी बाराबंकी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड–3/प्रान्तीय खण्ड, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. कार्यालय नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,
बाराबंकी।

Scanned with CamScanner